105

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः—श्री एस0एस0 अली

सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 788—एक/2009 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 23—03—2009 के द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण क्रमांक 213/निग0/2008—09

.....

दिनेश प्रसाद पटेल तनय रामप्रताप पटेल
निवासी—ग्राम लोहदवार, तहसील रायपुर कर्चुलियान
जिला—रीवा (म0प्र0)

..... आवेदक

विरूद्ध

1— सुदर्शन प्रसाद पटेल तनय हरदीन पटेल
2— बनमाली प्रसाद पटेल तनय केमला प्रसाद पटेल
3— शोभनाथ तनय केमला प्रसाद पटेल
4— राजीवलोचन तनय केमला प्रसाद पटेल
5— पन्नालाल तनय केमला प्रसाद पटेल
निवासीगण—ग्राम लोहदवार तहसील कर्चुलियान
जिला—रीवा (म0प्र0)

.....अनावेदकगण

.....

श्री आर0एस0 सेंगर, अभिभाषक, आवेदक

.....

आदेश

(आज दिनांक 24-10-2017 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 23—03—2009 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम लोहदवार स्थित भूमि खसरा नं0 180 रकबा 0.83 एकड़, जिसका पुराना खसरा नं0 143 रकबा 0.18 एकड़ एवं खसरा नं0 144 रकबा 0.65 एकड़ है । आवेदक द्वारा उक्त वादग्रस्त भूमि का नामांतरण अपने नाम किये जाने हेतु संहिता की धारा 109–110 के तहत आवेदन पत्र तहसीलदार कर्चुलियान के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिस पर तहसीलदार द्वारा 109–110 के तहत कार्यवाही करते हुये आवेदक के पक्ष में दिनांक 25.01.2007 को नामांतरण स्वीकार किया गया । तहसीलदार के इसी के आदेश से परिवेदित होकर अनावेदकगण द्वारा अपील मय अवधि विधान की धारा 5 के अंतर्गत आवेदन पत्र अनुविभागीय अधिकारी रायपुर कर्चुलियान के समक्ष प्रस्तुत की गई। जहॉ अनुविभागीय अधिकारी ने प्रकरण क्रमांक 58 / अ–6 / 2007–08 में दिनांक 21.10.2008 को आदेश पारित करते हुये विचारण न्यायालय के आदेश को निरस्त कर अनावेदकगण की अपील समय सीमा में मान्य कर प्रकरण अंतिम तर्क लिये नियत किया है । अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा अपर कलेक्टर रीवा के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की। अपर कलेक्टर ने प्रकरण क्रमांक 17 / अ–6 / 2007–08 पर पंजीबद्ध कर दिनांक 20.02.2009 से निगरानी निरस्त किया तथा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को स्थिर रखा। अपर कलेक्टर के इसी आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के समक्ष पेश की गई । अपर आयुक्त ने प्रकरण क्रमांक 213 / निग0 / 2008–09 पर पंजीबद्ध कर दिनांक 23–03–2009 अपर कलेक्टर द्वारा पारित किये गये आदेश एवं अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित किये गये आदेश को विधिसंगत मानते हुये स्थिर रखा है तथा निगरानी निरस्त की है। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों के आधार पर प्रकरण का निराकरण किये जाने का निवेदन किया गया है । अतः प्रकरण का निराकरण अभिलेखों के आधार पर किया जा रहा है।

4/ आवेदक के अधिवक्ता को ग्राह्यता के बिन्दु पर सुना गया तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम लोहदवार स्थित वादग्रस्त भूमि के मूल भूमिस्वामी रामविलास थे । रामविलास निःसंतान फौत हुये थे। रामविलास ने मृत्यु के पूर्व आवेदक के पक्ष में निष्पादित

अपंजीकृत वसीयतनामे के आधार पर आवेदक द्वारा संहिता की धारा 109–110 के तहत आवेदन पत्र तहसील न्यायालय में प्रस्तुत किया। तहसील न्यायालय द्वारा अपंजीकृत वसीयतनामा के आधार पर दिनांक 25.01.2007 से नामांतरण स्वीकार कर लिया । पंचनामा एवं प्रमाणित दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी विदित होता है कि उक्त वादग्रस्त भूमि पर अनावेदकगण का कब्जा निरंतर चला आ रहा है एवं राजस्व अभिलेख में दर्ज था । आवेदक, अनावेदक का रिश्ते में भतीजा है । आवेदक ने अनावेदकगण को पक्षकार बनाये बिना ही नामांतरण आदेश पारित किया था । तहसील न्यायालय ने इन विधिक बिन्दुओं पर कोई ध्यान ही नहीं दिया। क्योंकि अनावेदकगण हितबद्ध पक्षकार थे, किन्तु उन्हें पक्षकार बनाये बिना ही नामांतरण का आदेश पारित किया गया है और इसी कारण अनुविभागीय अधिकारी ने प्रकरण का सूक्ष्मता से अध्ययन करते हुये अपील को समय सीमा में मानकर प्रकरण को अंतिम तर्क हेतु नियत किया है। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित किये गये आदेश में कोई त्रुटि प्रकट नहीं होती। अपर कलेक्टर रीवा एवं अपर आयुक्त रीवा ने अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को उचित माना है तथा अपने आदेश में पूर्ण विवेचना कर इसकी पुष्टि की है। अतः तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष है जिसमें कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आवेदक के द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन एवं बलहीन होने से निरस्त की जाती है ।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर